



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]
No. 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2009/माघ 10, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2009/MAGHA 10, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2009

सम्पत्ति-कर

का.आ. 379(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सम्पत्ति-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पत्ति-कर नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सम्पत्ति-कर (पहला संशोधन) नियम, 2009 है।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त होंगे।

2. सम्पत्ति-कर नियम, 1957 में नियम 8ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8ग. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस का मापमान :—(1) उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी आस्ति के मूल्यांकन के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस निम्नलिखित दरों पर परिकलित रकम से अधिक नहीं होगी, अर्थात् :—

- (क) यथा मूल्यांकित आस्ति के प्रथम 5,00,000 पर मूल्य का 1/2 प्रतिशत;
- (ख) यथा मूल्यांकित आस्ति के अगले 10,00,000 पर मूल्य का 1/5 प्रतिशत;
- (ग) यथा मूल्यांकित आस्ति के अगले 40,00,000 पर मूल्य का 1/10 प्रतिशत;
- (घ) यथा मूल्यांकित आस्ति के अतिशेष पर मूल्य का 1/20 प्रतिशत;

(2) किसी निर्धारिती की प्रेरणा से किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए जहां दो या अधिक आस्ति अपेक्षित हैं वहां ऐसी सभी आस्तियां ऐसे रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के लिए संदेय फीस के परिकलन के प्रयोजन के लिए एकल आस्ति समझी जाएगी।

(3) जहां उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अनुसार परिकलित फीस की रकम 500 रुपये से कम है वहां रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक अपनी फीस के रूप में 500 रुपए प्रभारित कर सकेगा।”

[अधिसूचना सं. 15/2009/फा. सं. 149/144/2008-टीपीएल]

वी. विजय बाबू, अवर सचिव (टी.पी.एल.-III)

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) सं. का.आ. 3384(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर संशोधन संपत्ति कर (पहला संशोधन) नियम, 2007 सं. का.आ. 1375(अ), तारीख 7 अगस्त, 2007 द्वारा किया गया था।